रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272125
CG-DL-E-28042026-272125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948
No. 289]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 313(अ).—केंद्रीय सरकार केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इसके उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन नियमों के प्रति आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (......... संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 115 में,

(1) उप-नियम (18) में, खंड (i) में, -

(i) तालिका 2 में, -

(क) सीमांत शीर्षक में, "सकल भार इससे अधिक नहीं" शब्दों के पश्चात, '3000' अंक के स्थान पर, '3500' अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) के तहत, कॉलम शीर्षक में, शब्द 'एचसीएनजी' के अंतर्गत, कोष्टक, अंक और शब्द ' (हाइड्रोजन + सीएन)' के लिए, कोष्टक, अंक और शब्द ' (हाइड्रोजन + सीएनजी)' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) कॉलम (8) के तहत, कॉलम शीर्षक में, शब्द 'गैसोलीन' के अंतर्गत, कोष्टक, अंक और शब्द '[(ई10)/(ई)]' के लिए, कोष्टक, अंक और शब्द '[(ई10)/(ई20)]' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (11) के अंतर्गत, कॉलम शीर्षक में, कोष्टक, अंक और शब्द '(ई85)' के लिए, कोष्टक, अंक और शब्द '(ई85) या (ई100)' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) कॉलम (15) के अंतर्गत, कॉलम शीर्षक में, कोष्टक, अंक और शब्द '(बी10)' के लिए, कोष्टक, अंक और शब्द '(बी100)' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) तालिका 2 के अंतर्गत नोट (टिप्पणियों) में, —

(क) मद 4 में, उप-मद (घ) में, 'गैसोलीन ईंधन ई10' शब्दों और अंकों के बाद, कोष्ठक और शब्द '(निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट)' का लोप किया जाएगा;

(ख) मद 17 में, उप-मद (i) में, 'संपीड़न' शब्द के स्थान पर 'तुलना' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (18) में, खंड (ii) में, तालिका 2 में,—

(i) स्तंभ (8) के अंतर्गत, स्तंभ शीर्षक में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या (ई100)' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) तालिका 2 के अंतर्गत टिप्पणियों में,—

(क) मद 11 में, उप-मद (i) में, सारणी 1 में, स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक में, शब्द और अधिलेख (सुपरस्क्रिप्ट) 'एनएमएचसी[1]' के स्थान पर, शब्द और अधोलेख (सुपरस्क्रिप्ट) ' एनएमएचसी[2]' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) मद 11 में, उप-मद (i) में, सारणी 1 में, स्तंभ (5) में, स्तंभ शीर्षक में, अधोलेख और अधिलेख 'सीएच4[1]' के स्थान पर, अधोलेख और अधिलेख 'सीएच4[2]' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) मद 13 में, सारणी में,—

(i) 'परीक्षण चक्र' शीर्षक वाली पंक्ति 1 के सामने, स्तंभ 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत प्रविष्टि में, 'मिलीग्राम /किलोवाट-घंटा' शब्द और अंक के स्थान पर 'मिलीग्राम /किलोवाट-घंटा' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) 'डबल्यूएनटीई' शीर्षक वाली पंक्ति 2 के सामने, स्तंभ 4 के अंतर्गत प्रविष्टि में, '60' अंक के स्थान पर '600' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(3) उप-नियम (19) में, खंड (i) में, तालिका 2 में, स्तंभ (11) के अंतर्गत, स्तंभ शीर्षक में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या (ई100)' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) उप-नियम (20) में, तालिका 2 में, स्तंभ (10) के अंतर्गत, स्तंभ शीर्षक में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या (ई100)' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) उप-नियम (22) में, तालिका 2 में, स्तंभ (11) के अंतर्गत, स्तंभ शीर्षक में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या (ई100)' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(6) नियम 115ई में, उप-नियम 4 में, टिप्पणियों में, मद (xii) में, कोष्ठक, अंक और शब्द 'ई100 वाहनों के लिए अनुलग्नक एस' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और शब्द 'ई100 वाहनों के लिए अनुलग्नक एसए' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11028/06/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक .... द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2026

G.S.R. 313(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. **Short title and commencement**. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (…… Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115,-

(1) in sub-rule (18), in clause (i), —

(i) in TABLE 2, —

(a) in the marginal heading, after the words "gross weight not exceeding", for the figure '3000', the figure '3500' shall be substituted;

(b) under column (7), in the column heading, under the word 'HCNG', for the bracket, figure and word '(Hydrogen+CN)', the bracket, figure and word '(Hydrogen+CNG)' shall be substituted;

(c) under column (8), in the column heading, under the word 'Gasoline', for the bracket, figure and word '[(E10)/(E)]', the bracket, figure and word '[(E10)/(E20)]' shall be substituted;

(d) under column (11), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or (E100)' shall be substituted;

(e) under column (15), in the column heading, for the bracket, figure and word '(B10)', the bracket, figure and word '(B100)' shall be substituted.

(ii) in the Notes under TABLE 2, —

(a) in item 4, in sub-item (d), after the words and figures 'Gasoline fuels E10', the bracket and words '(as specified by the manufacturer)', shall be omitted;

(b) in item 17, in sub-item (i), for the word 'Compression', the word 'Comparison' shall be substituted.

(2) in sub-rule (18), in clause (ii), in TABLE 2,—

(i) under column (8), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or (E100)' shall be substituted;

(ii) in the Notes under TABLE 2,—

(a) in item 11, in sub-item (i), in table 1, in column (4), in the column heading, for the word and superscript '$NMHC^1$', the word and superscript '$NMHC^2$' shall be substituted;

(b) in item 11, in sub-item (i), in table 1, in column (5), in the column heading, for the word, subscript and superscript 'CH_4^1', the word, subscript and superscript 'CH_4^2' shall be substituted;

(c) in item 13, in the table,—

(i) against the row 1 named 'Test cycle', in the entry under columns 2, 3, 4 and 5, for the word and figure 'Mg/kWh', the word and figure 'mg/kWh' shall be substituted;

(ii) against the row 2 named 'WNTE', the entry under column 4, for the figure '60', the figure '600' shall be substituted.

(3) in sub-rule (19), in clause (i), in the TABLE 2, under column (11), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or (E100)' shall be substituted.

(4) in sub-rule (20), in TABLE 2, under column (10), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or (E100)' shall be substituted.

(5) in sub-rule (22), in TABLE 2, under column (11), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or (E100)' shall be substituted.

(6) **in rule 115E, in sub-rule 4, in Notes, in item (xii), for the bracket, figure and word 'Annexure S for E100 vehicles', the bracket, figure and word 'Annexure SA for E100 vehicles' shall be substituted**.

[F. No. RT-11028/06/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA